

15.09.22 7

195
2022

जसवन्त
जे.आर

15.09.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Devyo

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़



सर्व
जे.
ज
रि
त